आदेश की क्रम सं0 और तारीख	**उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।** (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) **अधिहरण अपील वाद सं0–04/2012** **शान्ति राउत –बनाम– राज्य(DFO)**	ओदश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
08.01.2021	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह अपीलवाद अपीलार्थी शान्ति राउत के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(A) के तहत् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल के अधिहरण वाद सं0–06/2010 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:–"दिनांक 03.01.2010 को थाना प्रभारी, देवरी एवं सहायक पुलिस बल द्वारा गश्ती के दौरान ग्राम सोनापहाड़ी के समीप हटियाटांड़ से लाल रंग का बिना निबंधन के एक ट्रैक्टर व टेलर को जप्त किया गया, जिसपर अवैद्य रूप से वनक्षेत्र का उत्खनित पत्थर लादा हुआ था। पंजीकृत देवरी थाना काण्ड सं0 06/2010 के तहत् जप्त वन पदार्थ एवं ट्रैक्टर व टेलर के राजसात की कार्रवाई हेतु वाद को वन प्रमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय भेजा गया, जहाँ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल द्वारा उक्त से संबंधित अधिहरण वाद सं0–06/2010 संधारित की गई एवं सुनवाई पश्चात दिनांक 16.07.2011 को भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(3) के तहत् वाहन पर लदे पत्थर सहित जप्त ट्रैक्टर व टेलर को राजसात किया गया।" वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। **वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल द्वारा दिनांक 16.07.2011 को पारित आदेश में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–** दिनांक 22.03.2011 को वन क्षेत्र पदाधिकारी, डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि जप्त पत्थर अधिसूचित वनभूमि सोनापहाड़ी के प्लॉट सं0 79 एवं 83 से अवैद्य रूप से उत्खनन कर ट्रैक्टर व टेलर के माध्यम से अभियुक्तों द्वारा परिवहन किया जा रहा था, जिसे पकड़ने के लिए वन पदाधिकारियों के पहुँचने के पूर्व ही पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। यह स्पष्ट है कि ट्रैक्टर स्वामी शांति राउत अपने सहयोगी चालक व खलासी के साथ मिलकर सोनापहाड़ी वनभूमि से अवैद्य रूप से पत्थर निकालते थे तथा छोटू यादव के क्रशर से इसका टुकड़ा कराकर ग्रामीण पथ निर्माण के ठेकेदारों को आपूर्ति करते थे। यदि पत्थर सही होता, तो वाहन मालिक अथवा चालक द्वारा वर्णित चालान को जप्ती सूचि बनने के पूर्व ही प्रस्तुत किया जाता, परन्तु चालक व खलासी का पुलिस को देखकर भागना एवं पकड़े जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करना वन अपराध की स्पष्टता को गहराता है। चूँकि जप्ती स्थल से थोड़ी ही दूरी पर जंगल है, जहाँ से पत्थर उत्खनित किया गया है तथा पुलिस पदाधिकारी को भी भारतीय वन अधिनियम में वन अपराध को रोकने के लिए वन पदाधिकारियों के समान ही शक्तियाँ प्राप्त है, अतएव पुलिस बल द्वारा की	

गई कार्रवाई विधिसम्मत है। अधिसूचित वनभूमि सोनापहाड़ी से अवैद्य उत्खनन कर पत्थर निकालना एवं उनका परिवहन करना संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध है। अतः भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(3)के तहत् जप्त ट्रैक्टर व टेलर(इंजन सं0 61059, चेसिस सं0 45570) एवं उसपर लदे पत्थरों को राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किया जाता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में लिखित जवाब, दिनांक 28.06.2019 के माध्यम से निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के वनोत्पाद का उत्खनन अथवा परिवहन नहीं किया गया है। बिना किसी उचित प्रमाण/साक्ष्य के उनके वाहन को अधिहरित किया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा वाहन पर लदे पत्थर को वैद्य चालान सं0-4016667. दिनांक 03.01.2010 के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था।
3. यह कि, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गिरिडीह न्यायालय के विचारण वाद सं0–193/2017 में पारित आदेश, दिनांक 01.03.2017 के तहत् अपीलार्थी को भा0द0वि0 की धारा 414, माइन्स एवं मिनरल्स अधिनियम की धारा 40 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है।
4. यह कि, जप्त वाहन एक व्यावसायिक वाहन है, जिसका क्रय अपीलार्थी ने ऋण पर किया है। खुले आसमान में रखे जाने के कारण वाहन को काफी क्षति पहुँच रही है तथा उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यवसायिक वाहन को लंबे समय तक जप्त रखना राष्ट्रीय नुकसान की परिभाषा में रखा गया है।
5. यह कि, अपीलार्थी गरीब, निर्दोष एवं कानूनप्रिय व्यक्ति है। उसके द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः राजसात की कार्रवाई समाप्त करते हुए विपक्षी के वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत तर्क के तहत् अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित वनभूमि सोनापहाड़ी से अवैद्य रूप से पत्थर का उत्खनन एवं परिवहन कर भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो संज्ञेय एवं दण्डनीय है। अतः जप्त वाहन ट्रैक्टर व टेलर(इंजन सं0 61059, चेसिस सं0 45570) एवं उसपर लदे पत्थरों को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: विचारण व निर्णय :–

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक एवं अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकाशित होते हैं :–

1. यह कि, अपीलार्थी/वाहन मालिक द्वारा जप्त वाहन पर लदे सामग्रियों से संबंधित कोई भी वैद्य कागजात/सत्यापित प्रमाण न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन घटित काण्ड में संलिप्त नहीं था एवं न ही वह स्वयं संलिप्त थे।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा दायर अधिहरण अपीलवाद के आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसमें सुनवाई उपरान्त निर्णय लेना अपेक्षित है, जबकि विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गिरिडीह द्वारा

Criminal Proceedings के तहत् आदेश पारित कर वाद का निष्पादन किया गया है।

3. यह कि, वन क्षेत्र पदाधिकारी, डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन पर लदे पत्थरों को अपीलार्थी व उनके सहयोगी द्वारा वनभूमि सोनापहाड़ी से उत्खनन/संग्रहण के पश्चात् परिवहन किया जा रहा था। घटनास्थल अधिसूचित वनभूमि सोनापहाड़ी के प्लॉट सं0 79 एवं 83 से संबंधित है।
4. यह कि, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत् सोनापहाड़ी अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि है एवं अधिसूचित वन भूमि से अवैद्य रूप से पत्थर का उत्खनन, संग्रहण व निष्कासन निषिद्ध ही नहीं बल्कि भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33(i)(c) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा संज्ञेय व दण्डनीय वन अपराध है।
5. यह कि, सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा वाद की सुनवाई के क्रम में पत्थर लदे जप्त उक्त वाहन को राजसात करने योग्य बताया गया है।
6. यह कि, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन व सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारीज किया जाता है एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह वनरोपण प्रमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2011 को यथावत रखा जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु LCR निम्न न्यायालय भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.09.28 17:54:56 +05:30
Location: 192.168.5.138